पत्रांक-15/सी 2-290/14-670

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक:

एस० एम० करीम
निदेशक, उच्च शिक्षा

सेवा में,

कुलसचिव
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय,
आरा

फैक्स एवं विशेष वाहक के माध्यम से

पटना, दिनांक 26/3/2015

विषय:- **एम0जे0सी0 संख्या-...../2014 अटल बिहारी सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि विषयाधीन मामले में विभागीय स्तर से निम्नांकित पत्रों के द्वारा आवश्यक कागजात तथा सूचनाओं की माँग की गयी है, परन्तु वांछित सूचना आपके विश्वविद्यालय से अभी तक अप्राप्त है :-

(i) पत्रांक-2346 दिनांक 12.12.2014

(ii) पत्रांक-73 दिनांक 16.01.2015 तथा

(iii) पत्रांक-359 दिनांक 19.02.2015

2. चूँकि विषयाधीन मामला अवमाननावाद से संबंधित है । अत: मामले की संवेदनशीलता एवं गंभीरता के मद्देनजर इससे संबंधित पत्रों की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि दिनांक 27.03.2015 को 3.00 बजे अपराह्न में निदेशक, उच्च शिक्षा के कार्यालय कक्ष में उपर्युक्त विभागीय पत्रों के द्वारा मांगी गयी सूचनाओं तथा संबंधित कागजात के साथ उपस्थित होकर बैठक में भाग लेने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन,

Karim 25/03/15

(एस० एम० करीम)
निदेशक, उच्च शिक्षा

N-2 VKSU

पत्र संख्याः– 15 / सी 2–290 / 2014 – 2346
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

64

प्रेषक,

एस०एम०करीम,
निदेशक उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय,
आरा।

पटना, दिनांक 12/12/2014

विषयः– एम०जे०सी० संख्या......................../2014 अटल बिहारी सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित अवमाननावाद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा से संबंधित है। यह अवमाननावाद सी०डब्लु०जे०सी० संख्या 20184 / 2013 में दिनांक 01.07.2014 को पारित न्यायादेश के अनुपालन नहीं किए जाने से भी उद्भूत है। प्रासंगिक अवमाननावाद वादी के सेवा नियमितिकरण से संबंधित है। वादी द्वारा महाराजा कॉलेज, आरा में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के रूप में 27.01.1986 के प्रभाव से स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर सेवा नियमितिकरण का दावा किया जा रहा है। अंकनीय है कि सी०डब्लु०जे०सी० संख्या 20184 / 2013 में दिनांक 01.07.2014 को पारित न्यायादेश के तहत कुलपति, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के समक्ष अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश है। एवं कुलपति, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा को वादी के अभ्यावेदन को अभिलेखों एवं तथ्यों के आलोक में नियमानुकूल निस्तारण किया जाना है।

ध्यातव्य हो कि स्टाफिंग पैटर्न के तहत नियुक्त कर्मी की नियुक्ति सामंजन के संबंध में विभागीय स्तर से पत्रांक 1820 दिनांक 17.11.1998 निर्गत है। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त विभागीय पत्र के आलोक में सुसंगत कागजातों के साथ सेवा सामंजन हेतु विभाग को प्रतिवेदित किया जाना है। विभागीय स्तर से समीक्षोपरांत विभागीय निदेश के आलोक में ही इस प्रकार के सामंजन की कार्रवाई की जा सकेगी।

अतः वादी के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 1820 दिनांक 17.11.1998 के तहत विस्तृत प्रतिवेदन तथा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 10 (6) के अधीन वादी की नियुक्ति में कुलपति के अनुमोदन से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

12/12/14

(एस०एम०करीम)
निदेशक (उच्च शिक्षा)

चिट्ठी

Fax/Speed Post

65

पत्रांक 15/सी 2–290/2014– 73

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,

एस0 एम0 करीम,
निदेशक (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

पटना, दिनांक 16/01/ 2015

विषयः– एम0जे0सी0 संख्या ..../2014 अटल बिहारी सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित अवमाननावाद के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 2346 दिनांक 12.12.2014 का सन्दर्भ किया जाए। आपके स्तर से वांछित प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है। यह अवमाननावाद सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 20184/2013 में दिनांक 01.07.2014 को पारित न्यायादेश के अनुपालन नहीं किए जाने से उद्भूत है। वादी द्वारा महाराजा कॉलेज, आरा में दैनिक वेतनभोगी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में 27.01.1986 के प्रभाव से स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर सेवा नियमितीकरण का दावा किया जा रहा है। इस मामले में 01.07.2014 को पारित न्यायादेश के तहत कुलपति, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय द्वारा वादी के अभ्यावेदन को अभिलेखों एवं तथ्यों के आलोक में विधिसम्मत प्रावधानों के अधीन नियमानुकूल तर्किक आदेश सर्वप्रथम निर्गत किया जाना है।

अंकनीय है कि स्टाफिंग पैटर्न के तहत नियुक्त कर्मी की सेवा सांमजन के संबंध में विश्वविद्यालय को विभागीय स्तर से निर्गत पत्रांक 1820 दिनांक 17.11.1998 के आलोक में सुसंगत कागजातों के साथ सामंजन का प्रस्ताव विभाग में भेजा जाना है। विभागीय निदेश के आलोक में ही सामंजन की कार्रवाई की जानी है।

अतः वादी के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 1820 दिनांक 17.11.1998 के क्रम में विभागीय पत्रांक 2346 दिनांक 12.12.2011 के आलोक में विस्तृत प्रतिवेदन तथा वादी की नियुक्ति में कुलपति की अनुमोदन से संबंधी प्रमाणिक साक्ष्य शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित किया जाता है तो उसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।

विश्वासभाजन,

16/01/15

(एस0 एम0 करीम)
निदेशक (उच्च शिक्षा)

S Singh

Hindi letter 2015

[redacted]

Fax/Speed Post

68

पत्रांक 15/सी 2–290/2014
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,

एस0 एम0 करीम,
निदेशक (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

पटना, दिनांक 2015

विषयः– एम0जे0सी0 संख्या ...../2014 अटल बिहारी सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित अवमाननावाद के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 2346 दिनांक 12.12.2014 एवं 73 दिनांक 16.01.2015 का सन्दर्भ किया जाए। आपके स्तर से वांछित प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है। यह अत्यंत खेदजनक है। ध्यातव्य हो कि यह अवमाननावाद सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 20184/2013 में दिनांक 01.07.2014 को पारित न्यायादेश के अनुपालन नहीं किए जाने से उद्भूत है। वादी द्वारा महाराजा कॉलेज, आरा में दैनिक वेतनभोगी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में 27.01.1986 के प्रभाव से स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर सेवा नियमितीकरण का दावा किया जा रहा है। इस मामले में 01.07.2014 को पारित न्यायादेश के तहत कुलपति, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय द्वारा वादी के अभ्यावेदन को अभिलेखों एवं तथ्यों के आलोक में विधिसम्मत प्रावधानों के अधीन नियमानुकूल तर्किक आदेश सर्वप्रथम निर्गत किया जाना है।

अंकनीय है कि स्टाफिंग पैटर्न के तहत नियुक्त कर्मी की सेवा सांमजन के संबंध में विश्वविद्यालय को विभागीय स्तर से निर्गत पत्रांक 1820 दिनांक 17.11.1998 के आलोक में सुसंगत कागजातों के साथ सामंजन का प्रस्ताव विभाग में भेजा जाना है। विभागीय निदेश के आलोक में ही सामंजन की कार्रवाई की जानी है।

अतः वादी के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 1820 दिनांक 17.11.1998 के क्रम में विभागीय पत्रांक 2346 दिनांक 12.12.2011 एवं 73 दिनांक 16.01.2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि विस्तृत प्रतिवेदन तथा वादी की नियुक्ति में कुलपति की अनुमोदन से संबंधी प्रमाणिक साक्ष्य शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित किया जाता है तो उसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।

विश्वासभाजन,

9/02/15

(एस0 एम0 करीम)
निदेशक (उच्च शिक्षा)

ज्ञापांक 15/सी 2–290/2014 – 359 पटना, दिनांक 19/2/2015

प्रतिलिपि :– विद्वान अपर महाधिवक्ता संख्या – 6, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि वस्तुस्थिति से माननीय न्यायालय को अवगत कराते हुए समय की याचना करने की कृपा की जाए।

9/2/15

(एस0 एम0 करीम)
निदेशक (उच्च शिक्षा)